SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

जवाहरलाल नेहरू एवं डॉ. राधाकृष्णन के दर्शन में धर्मनिरपेक्षता तथा सम्प्रदायिकता विचारधारा : एक अध्ययन

डॉ. अंगद सिंह दोहरे, सहायक प्रध्यापक, इतिहास,
शासकीय डिग्री कॉलेज लवकुशनगर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author :
डॉ. अंगद सिंह दोहरे, सहायक प्रध्यापक, इतिहास, शासकीय डिग्री कॉलेज लवकुशनगर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 17/10/2019
Revised on : -----
Accepted on : 22/10/2019
Plagiarism : 07% on 17/10/2019

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 7%

Date: Thursday, October 17, 2019
Statistics: 122 words Plagiarized / 1869 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

tokgjyky usg: ,oa MkW- jk/kkd`".ku ds n'kZu esa /keZfujis{krk rFkk lEiznkf;drk fopkj/kkjk % ,d v/;;u /keZfujis{krk dk rkRi;Z /keZ dks jkT; vkSj jktuhfr ls vyx j[kuk gS vkSj bls ,d futh ekeys ds :i esa ekU; djuk gS blds fy;s vko';d gS fd jkT; fdlh Hkh ukxfjd ds lkFk mlds /keZ vFkok tkfr ds vk/kkj ij HksnHkko u djsA /keZfujis{krk dk "kkfCnd vFkZ gS /keZ ls fujis{k jguk vFkkZr /keZ ds ekeys esa dksbZ gLr{ksi u djuk O;fDr ;k leqnk; dh tks vkLFkk ;k /keZ gks mls fcuk ck/;rk ds mlds vuqlkj vkpj.k |

प्रस्तावना :–

प्रस्तुत शोध पत्र **"जवाहरलाल नेहरू एवं डॉ. राधाकृष्णन के दर्शन में धर्मनिरपेक्षता तथा सम्प्रदायिकता विचारधारा : एक अध्ययन"** पर आधारित है। धर्म से निरपेक्ष रहना अर्थात धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप न करना व्यक्ति या समुदाय की जो आस्था या धर्म हो उसे बिना बाध्यता के उसके अनुसार आचरण करने की छूट प्रदान करना ही धर्मनिरपेक्षता है। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था। लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेश नहीं था। डॉ. राधाकृष्णन भी धर्मनिरपेक्षता को धर्म के संबंध में ही देखते–समझते थे। औपनिवेशिक गुलामी से जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब नेहरू ने नेतृत्व, पटेल ने कूटनीति और राधाकृष्णन ने दार्शनिक अवदान दिया। उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में भारत की सत्ता का रहस्य दुनिया को समझाया कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं, पंथनिरपेक्ष देश है।

मुख्य शब्द :–

धर्मनिरपेक्षता, सम्प्रदायिकता विचारधारा ।

धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म को राज्य और राजनीति से अलग रखना है और इसे एक निजी मामले के रूप में मान्य करना है इसके लिये आवश्यक है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म अथवा जाति के आधार पर भेदभाव न करे।

धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म से निरपेक्ष रहना अर्थात धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप न करना व्यक्ति या समुदाय की जो आस्था या धर्म

हो उसे बिना बाध्यता के उसके अनुसार आचरण करने की छूट प्रदान करना ही धर्मनिरपेक्षता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता– सभी धर्मो को आदर व सम्मान देना भारतीय संस्कृति का प्राचीन काल से विशिष्ट लक्षण रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी नागरिको को स्वतन्त्र रूप से धर्म को मानने व उसके अनुसार आचरण करने की स्वतन्त्रता है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है।

धर्मनिरपेक्षता (सेक्यूलरिज्म) शब्द का पहले–पहल प्रयोग बर्मिंघम के जॉर्ज जेकब हॉलीयाक ने सन् 1846, के दौरान, अनुभवों द्वारा मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने के तौर तरीकों को दर्शाने के लिए किया था। उनके अनुसार, "आस्तिकता–नास्तिकता और धर्म ग्रंथों में उलझे बगैर मनुष्य मात्र के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक स्वभाव को उच्चतम संभावित बिंदु तक विकसित करने के लिए प्रतिपादित ज्ञान और सेवा ही धर्मनिरपेक्षता है"।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में–भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है :–

- भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, संविधान के अनुसार भारत राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है।
- भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होगें और धर्म जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू से यह बताने को कहा कि आजाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होगा तो उन्होंने जवाब दिया था – 'सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण'। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो 'सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे, और खुद किसी धर्म को राज्यधर्म के बतौर स्वीकार न करे'। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था। लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेश नहीं था। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतातर्क से काफी भिन्न थे। साथ ही, वे धर्म और राज्य वेफ बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। उनके विचार के अनुसार, समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्यसत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनवाने तथा देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनेक मामलों में वे लचीला होने को तत्पर रहते थे, मगर यही एक चीज ऐसी थी जिस पर वे हमेशा समझौता ही बने रहे। उनवेफ लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब था तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना में वे खास तौर पर कठोरता बरतते थे क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता पर खतरा उत्पन्न होता था। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला भर नहीं था, वह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी था।

पं जवाहरलाल नेहरू द्वारा परिभाषित धर्मनिरपेक्षता के निम्नलिखित बिन्दु हैं :–

1. जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों से धर्म को अलग रखना ।
2. राज्य की धर्म से अंसन्लगनता ।
3. सभी धर्मो को पूर्ण स्वतन्त्रता और उनके प्रति सहिष्मता ।
4. सभी धर्मो के पालनकर्त्ताओं को समान अवसर और धर्म के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव व पक्षपात का ना होना।

साम्प्रदायिक विचारधारा :–

साम्प्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो कि किसी देश के निवासियों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसे वर्ग विभाजन के रूप में देखती है। यह किसी देश की राजनीति में विभिन्न धार्मिक समुदायों को महत्व प्रदान करना है। जब राजनीति में समाज के सामान्य राजनीतिक, सिद्धान्तिक, आर्थिक और सामाजिक हित गोण हो जाते हैं और किन्हीं विशेष धार्मिक समुदायो के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। तब साम्प्रदायिकता की राजनीति का उदय होता है इस प्रकार की राजनीति आधुनिक भारत के लिये सबसे बड़ा खतरा है।

साम्प्रदायिकता हिंसा :–

साम्प्रदायिकता हिंसा विभिन्न धार्मिक समुदायो के मध्य –संघर्ष से उत्पन्न होती है। प्रायः ऐसा संघर्ष उग्र धर्मान्दता की भावना भड़कने के कारण होता है भारत में इस प्रकार की हिंसा का अत्यधिक प्रसार प्रथम असहयोग आन्दोलन के अन्म में केरल में मोपला विरूद्ध से प्रारम्भ हुआ। जिसने कत्ले आम का रूप ले लिया। तब से स्वतन्त्रता प्राप्ति के काल तक इस प्रकार के धर्मान्त उपद्रव तथा कत्लेआम बारम्बार हुए। जिन्होंने नादिरशाह के कत्लेआम की याद दिला दी। जब पाकिस्तान के निर्माण की माँग प्रबल हो गई तब उस मान को शीघ्र से शीघ्र मनवाने के लिये और भी अधिक उग्र हिंसा हुई तथा तथा अंत में मोहम्मद अली जिन्हा द्वारा कत्ले आम की धमकी के आगे भारतीय नेतृत्व को झुकना पड़ा और भारत के विभाजन की माँग स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन जैसा कह इतिहासकार मजूमदार ने लिखा है, विभाजन की माँग को स्वीकार करने से पहले समय रहते नवनिर्मित पाकिस्तान से हिन्दुओं को स्थानान्तरित करने एवं भारत से विशेष कर पश्चिमी उत्तरप्रदेश व पंजाब से मुस्लिम निवासियों का पाकिस्तान की ओर गमन की कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता के समय दोनों ओर भयंकर मार काट हुई। और दोनों समूदायों के मध्य एक दूसरे के विरुद्ध आक्रोश फैला।

साम्प्रदायिक हिंसा के स्त्रोत :–

साम्प्रदायिक हिंसा के भड़काने के निम्नलिखित कारणों एवं स्त्रोतों का उल्लेख किया जा सकता है।

1. धर्मान्दता ।
2. अलगाववादी प्रवृत्ति और माँग ।
3. अपहरण, बलात्कार तथा बल पूर्वक धर्म परिवर्तन आदि जैसे अपराध।
4. विभिन्न धर्मो के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अपने–अपने समूदायों में अपना प्रभाव व नेतृत्व करने की इच्छा। और उसके लिये उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काना।
5. आर्थिक तथा राजनीतिक हित एवं राजनीतिक हिंसा का प्रयोग ।
6. व्यक्तिगत शत्रुताएँ ।
7. शासकीय नियुक्तियों की प्रतिस्पर्धा ।
8. एक धर्म सम्प्रदाय द्वारा दूसरे सम्प्रदाय के पूजा स्थलों को अपवित्र करना, आक्रामक रूप से धार्मिक जलूस निकालना तथा गौ हत्या जैसे कार्य ।

साम्प्रदायिक राजनीति :–

भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् से ही साम्प्रदायिक राजनीति का प्रादुर्भाव हो गया। विभिन्न राजनीतिक दलो द्वारा मुस्लिम मतों को प्राप्त करने के उद्देश्य ये अधिक से अधिक प्रस्नन करने की नीति अपनाई गई। जिसे वोट बैंक की राजनीति कहा जाता है। मुस्लिम सम्प्रदाय को इस प्रकार आवश्यकता से अधिक तर्जी देने और उनके तुष्टीकरण के विरोध में शिवसेना, विश्व हिन्दू परिषद तथा बजरंग दल जैसे

दलों का उदय हुआ। जो कि हिन्दू समाज की सुरक्षा करने के नाम पर राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गये। इस प्रकार एक ओर तथाकथित धर्म निर्पेक्षवाद एवं वामपंथी दल, मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित करने में लग गये और दूसरी और संघ परिवार से सम्बन्धित संगठन हिन्दूओं को सचेत और संगठित करने में लग गये। इस प्रकार साम्प्रदायिकता राजनीति की एक अन्तहीन प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई जो कि अभी तक चली आ रही है।

इस प्रकार की नीति का एक स्पष्ट उदाहरण 1986 के शाहबानों प्रकरण में देखने को मिलता है। जब कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तलाकशुदा शाहबानों के उसके पति द्वारा निर्वाह भत्ता देने का आदेश दिया। तब मुस्लिम निजी कानून मण्डल (Muslim Personal Law board) के सदस्यों द्वारा इस निर्णय का विरोध यह कह करके किया गया कि यह मुस्लिमों के धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप है। तब राजीव गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने संसद में अपने बहुमत के बल पर एक विशेष अध्यादेश पारित किया। जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के शाहबानों के पक्ष में दिये गये निर्णय को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान समय में भी हम देख सकते है कि उत्तरप्रदेश में किस प्रकार कांग्रेस, समाजवादी दल तथा बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम पार्टी मुस्लिम वोटों को प्राप्त करने के लिये उन्हें अधिक से अधिक प्रसन्न करने के लिये उन्हें अधिक लाभ व सुविधाएं देने की घोषणाएँ कर रही है तथा शासकीय नौकरियों में उनको आरक्षण देने के वचन भी दे रहे है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का विरोध कर रही है।

संविधान निर्मात्री सभा के इस विषय में विचार :–

संविधान का निर्माण करते समय संविधान निर्मात्री सभा में भी साम्प्रदायिकता जैसे विचारों पर विचार किया गया और अधिकांश, सदस्यों द्वारा यह मत प्रकट किया गया कि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों को राष्ट्र की मुख्यधारा को जोड़ने के लिये एकीकृत नागरिक आचार संहिता (Uniform Civil code) का विकास किया जाये और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत राज्य को इस कदम उठाने के लिये निर्देशित किया। पं. जवाहर लाला नेहरू का भी यह मत था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत क पहचान निर्मित करने के लिये एक ऐसी एकीकृत नागरिक आचार संहिता अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन कुछ मुस्लिम विरोधियों द्वारा यह आपत्ति की गई कि उनका निजी कानून कुरान के नियमों के अनुसार है और एकीकृत नागरिक आचार संहिता कुरान के आदेशों के विपरीत होगी। उनकी इस आपत्ति के कारण अभी तक इस विषय में कोई प्रगति नहीं हो सकी है।

साम्प्रदायिकता के विषय पर डॉ. राधाकृष्णन का दर्शन :–

डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार जब यह हम कहते है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तब इसका अर्थ यह नहीं है कि हम धर्म की सार्थकता और उसकी भावना को अस्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता ही राज्य का एक धर्म बन जाय और वह अपने आपको दैवीय रूप से विशेषाधिकार सम्पन्न कर ले। इस प्रकार यदि देखा जाय तो जब धर्म निरपेक्षता छद्म धर्मनिरपेक्षता (Sudo Securalism) का रूप ले लेती है तब इससे साम्प्रदायिक राजनीति का प्रसार होता है जिससे धर्मान्धता, अलगाववाद एवं हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। भारत की वर्तमान राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं।

औपनिवेशिक गुलामी से जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब नेहरू ने नेतृत्व, पटेल ने कूटनीति और राधाकृष्णन ने दार्शनिक अवदान दिया । उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में भारत की सतता का रहस्य दुनिया को समझाया कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं, पंथनिरपेक्ष देश है । उन्होंने संविधान सभा में कहा था, स्वराज सहिष्णु प्रकृति का विकास है. असहिष्णुता हमारे विकास की सबसे बड़ी बाधा है, एक दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णु रहना ही विकास का एक मात्र रास्ता है।

डॉ. राधाकृष्ण भी धर्मनिरपेक्षता को धर्म के संबंध में ही देख–समझ रहे थे। वे इस तथ्य को जानबूझकर नजरंदाज करते रहे कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपना स्थान सुरक्षित के लिए धर्म स्वयं नैतिकता का सहारा लेता है. हमारे युग की त्रासदी ही यही है कि यहां धर्म ने नैतिकता को हड़प लिया है ।

निष्कर्ष :–

कुछ लोगों का मानना है कि धर्म महज 'जनसमुदाय के लिए अफीम' है और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएँगी और वे खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन–यापन करने लगेंगे, धर्म विलुप्त हो जाएगा। ऐसा विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है। यह संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा।

धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता यह हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा एक उपाय है। साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं।

संदर्भ :–

1. *शरद भटनागर, राजनीतिशास्त्र, चित्रा प्रकाशन, इण्डिया प्रा.लि. द्वारा प्रकाशित चित्रा।*
2. *बेडकीहाल, किशोर, (2013), पं. नेहरू अणि सेक्युलिरिज्म, नेहरू अभ्यास केन्द्र, प्रकाशन, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापुर, महाराष्ट्र ।*
3. *आंबेडकर, बी.आर. (1964), रानडे, गांधी एवं जिना, भीमपत्रिका पब्लिकेशन्स, जालंधर, पंजाब ।*
4. *अली असगर, (2007), भारत में साम्प्रदायिक इतिहास और अनुभव, इतिहास बोध प्रकाशन, इलाहाबाद ।*

RK *Ali, Asghar Engineer (1985) : 'Indian Muslims : A Study of the Minority Problems in India', Ajanta Publication. Delhi.*

SK *Sabain, G.H. (19973): 'A History of Political Theory', Oxford and I.B.H. Publishing Company, Forth edition.*

7. *http://hppanchayat.nic.in*
8. *http://shodhganga.inflibnet.ac.in*
9. *http://www.ncert.nic.in*

****